न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंकित कुमार (आर.टी.एस) तहसीलदार रामगढ।

प्रार्थना पत्र सं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/2025	06.05.2025	18.07.2025

उनवान

1. गीता पुत्री मंगलराम पत्नी रिहिताश हाल निवासी खानपुर
2. रमेली उर्फ रमलि पत्नि मंगलराम जाति चमार निवासी हाल ग्राम रघुनाथगढ तह. रामगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. असरू पुत्र चन्दर खां जाति मेव निवासी ग्राम लोहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर

.....असल अप्रार्थीगण

(अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट.)

निर्णय दिनांक 18.07.2025

निर्णय

प्रकरण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र गीता पुत्री मंगलराम पत्नी रिहिताश हाल निवासी खानपुर रमेली उर्फ रमलि पत्नि मंगलराम जाति चमार निवासी हाल ग्राम रघुनाथगढ तह. रामगढ जिला अलवर द्वारा अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बरं 829 रकबा 0.01हैक्ट., ख.नं. 830 रकबा 0.01हैक्ट., ख.नं. 957 रकबा 0.25हैक्ट. कुल किता 03 रकबा 0.27हैक्ट0 का 1/4 — 1/4 भाग आराजी वाके ग्राम लोहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर मे स्थित है, जो आराजी प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है । उपरोक्त विवादित आराजीयात वादीगण की खुद काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर मिनवादीगण अपने पिता के फुट स्टैप पर अनेक वर्षो से कब्जे काश्त रहकर काश्त करता चले आ रहे है और राजस्व रिकॉर्ड मे भी वादीगण का नाम दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है और मौके पर सभी की डौले बनी हुई है व प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से साबित है कि मिनवादीगण ही उपरोक्त विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड कब्जे काश्त खातेदार है। उपरोक्त विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही रहा है और ना ही आस पास कोई जमीन लगती है और वादीगण को प्रतिवादी परेशान करते है। जबरन लटठ के बल पर उपरोक्त आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया और आए दिन प्रतिवादी, वादीगण को नाजायज परेशान करते रहते है। जबकि वादीगण न्यायप्रिय व कानून मे आस्था रखने वाले व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह तैयार किया हुआ है जो वादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी मे काश्त नही करने देते है और हमेशा नाजायज अतिक्रमण करने और मारपीट करने की चेष्टा मे रहते और वादीगण द्वारा मना करने पर वादीगण को जान से मारने की धमकी देते है व वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देते है जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनन हक नही है। प्रतिवादी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात पर अतिक्रमण व नाजायज रूप

कब्जा किया हुआ है और अतिक्रमण करने से प्रतिवादी ने वादीगण के विरूद्ध उपरोक्त विवादित आराजी बाबत नाजायज गिरोह तैयार किया हुआ है और इन सभी ने बदयान्ती वादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी से नाजायज रूप से बेदखल किया हुआ है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.04.2025 को मिनवादीगण की आराजीयात पर से नाजायज अतिक्रमण हटाने से इंकार किया। विवादित आराजी ग्राम लोहरवाडी तहसील रामगढ मे स्थित है जो क्षेत्राधिकार मे होने से श्रवण योग्य है।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे इस न्यायालय द्वारा भू.अ.नि. मिलकपुर एवं पटवारी सैंथली से नियमानुसार जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। दिनांक 05.05.2025 को भू.अ.नि. साहडोली एवं पटवारी हल्का चोरोटीपहाड की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया कि मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम लोहरवाडी ख.नं. 829/0.01, 830/0.01, 957/0.25 कुल किता 03 रकबा 0.27हैक्ट. कब्जे की जांच की गई मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम लोहरवाडी ख.नं. 829/0.01 किस्म बारानी प्रथम, 830/0.01 किस्म गै.मु.चाह व 957/0.25 किस्म चाही प्रथम किता 3 रकबा 0.27हैक्ट. गीता, रमेली पुत्रियान मंगलराम , रामू, सुरेश पि. मंगलराम जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर आराजी ख.नं. 957/0.25 मे मौसमी के पेड व एक कमरा 15X10 का बना हुआ है जो असरू खां पुत्र चन्दर खां जाति मेव निवासी लोहरवाडी द्वारा बताए अनुसार पेड वर्ष 2005 से लगाए हुये है जो वर्तमान मे मौजूद है। उक्त ख.नं. पर असरू खां पुत्र चन्द्र खां का मौके पर कब्जा है। आ.ख.न. 829/0.01 व 830/0.01 मे गै.मु.चाह है जिस पर रामू, सुरेश पुत्रान मंगलराम व सुगन पुत्र बसन्ता का मौके पर कब्जा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। बाद नोटिस तामील उपरांत अप्रार्थीगण ना तो न्यायालय मे उपस्थित हुए एवं ना ही अपना कोई जवाब पेश किया । प्रार्थी की और से विद्वान अधिवक्ता कमल प्रकाश शर्मा एड. व रोहिताश वर्मा एड. द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया।

प्रभात और अन्य बनाम कजोड और अन्य, 1996 आरआरडी 120 एवं अब्दुल गफार खान बनाम विधिक प्रतिनिधि आफ कंवरलाल, 1996 आरआरडी 153, पृष्ठ संख्या 156 के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत सुस्थापित किया है कि पक्षकारों के बीच किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व मे विचाराधीन भी हो, तो धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होगे और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध सरसरी जांच करके उन्हे बेदखलं किया जा सकता है। तथा यदि किसी एससी के व्यक्ति को गैर–खातेदारी मे भू आवंटन हो गया है और उसको खातेदारी नही मिली हो तथा उसकी भूमि पर किसी अन्य अतिक्रमी ने कब्जा कर रखा है उस हालत मे भी यदि अतिक्रमण यदि सिद्ध हो जाए तो अतिक्रमी को धारा 183बी के तहत हटाया जा सकता है।

अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 पर विचार कर पत्रावली का अवलोनकन व मनन किया जाकर एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया। प्रार्थीया अनुसूचित जाति का व्यक्ति है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति चमार दर्ज है। चूंकि प्रार्थी की जाति वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चमार दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त

राजी पर कब्जा होना प्रथम दृष्ट्या साबित पाया जाता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त दृष्टांत मे दी गई नजीर एवं पटवारी हल्का सैंथली की जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 829 रकबा 0.01हैक्ट., ख.नं. 830 रकबा 0.01हैक्ट., ख.नं. 957 रकबा 0.25हैक्ट. कुल किता 03 रकबा 0.27हैक्ट0 वाके ग्राम लोहरवाडी तहसील रामगढ से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि पर नियमानुसार कब्जा संभलाया जावे। अप्रार्थीगणों को बेदखल करने व प्रार्थी को कब्जा दिलाने हेतु भू0अ0निरीक्षक साहडोली व पटवारी हल्का चोरोटीपहाड को अहकाम जारी कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को भूमि का कब्जा उसे सम्भलवाकर एक सप्ताह में पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखा जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार,
रामगढ (अलवर)